

कामगार महिलाएँ एवं उनके निर्णयन अधिकार

मीनू राजवंशी¹

¹असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश

Received: 21 November 2023 Accepted and Reviewed: 25 November 2023, Published : 01 Dec 2023

Abstract

यह शोध पत्र कार्यस्थलों पर कार्यरत महिलाओं की भूमिका, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा उनके निर्णयन अधिकारों की स्थिति का विश्लेषण करता है। कार्यक्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता लगातार बढ़ रही है, परंतु निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित रहती है। यह अध्ययन विभिन्न औद्योगिक, शैक्षिक, प्रशासनिक एवं असंगठित क्षेत्रों में कामगार महिलाओं के अनुभवों, चुनौतियों, और उनके नेतृत्व व निर्णयात्मक क्षमता को समझने का प्रयास करता है। शोध में यह भी विश्लेषण किया गया है कि पारिवारिक, सामाजिक तथा संस्थागत ढांचे किस प्रकार महिला के निर्णयन अधिकारों को प्रभावित करते हैं। अंततः शोध यह स्थापित करता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें केवल कार्यबल में शामिल करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें निर्णय प्रक्रिया में समान अधिकार देना भी अनिवार्य है।

प्रमुख शब्द— कामगार महिलाएँ, निर्णयन अधिकार, महिला सशक्तिकरण, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता, सामाजिक संरचना, नेतृत्व क्षमता, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, नीतिगत सुधार, लिंग आधारित भेदभाव, महिला अधिकार

Introduction

इस संसार में यदि कोई सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, तो वह प्रकृति हैं, और प्रकृति ही प्रत्येक मनुष्यों (पुरुष / महिला) की भूमिकाओं को तय करती हैं कि किसे किस प्रकार का उत्तरदायित्व दिया जाये ताकि वह अपने तर्क, विवेक, सामर्थ और श्रम से सम्पूर्ण मानव समाज और प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य संतुलन को बनाए रखे। समय परिवर्तन के साथ खुद के स्वरूप में भी परिवर्तन लाए और समाज को अधिक उन्नत बनाने के लिए सभी मनुष्यों (पुरुष / महिला) को समान अवसर प्रदान करे। शायद इसीलिए प्रकृति ने महिलाओं को पुरुषों के समानतर रखा है और यही कारण है कि महिलाओं को पुरुषों के पूरक के रूप में माना गया है।

लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारत में महिलाओं स्थिति उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। सदियों से महिलाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक बाध्यता, रूढ़िगत प्रथाओं के नाम पर जानबूझकर विकास के अवसरों से वंचित रखा गया है।

महिलाओं के अस्तित्व को पुरुषों के अस्तित्व के साथ जोड़ दिया जाता है और यह कहा जाता है वह गृह लक्ष्मी हैं और वह केवल घर के समस्त घरेलू के लिए उपयुक्त हैं और यही उनका उत्तरदायित्व है कि वे घर की देख बहाल करे बच्चों का पालन पोषण करे एवं बड़े वृद्ध जनों की सेवा करे। उनके लिए घर समस्त संसार है और वे घर के बाहर किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि उसके परिवार के लिए एक अपमान जैसा प्रतीत होता है लेकिन वर्तमान समय में महिलाएं राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें गृहिणी का भी एक हिस्सा शामिल है। वे सभी अध्ययन जो भारत में घटती कामकाजी महिलाओं की बात करते हैं, उन्हें उन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करना होगा, जो उनके अध्ययन को तार्किक

आधार पर सत्यापित कर सकें। ऐसे सर्वेक्षणों में जितना महत्व चयनित इकाइयों का होता है, उससे अधिक सर्वेक्षणकर्ताओं की उस दृष्टि का होता है, जो प्रश्नावली में अंकित प्रश्नों से परे सत्य को ढूँढने का प्रयास करती है।

जब हम व्यक्तियों में निर्णय लेने की शक्ति की बात करते हैं तो, उसका तात्पर्य हम विशेष रूप से निर्णय लेने की शक्ति के संदर्भ में बात करते हैं, और जब महिलाओं की निर्णय शक्ति की चर्चा करते हैं अर्थात् इसका तात्पर्य, महिलाओं की निर्णय क्षमता और निर्णय लेने के स्वतंत्र अधिकार संदर्भ से है, जो उनके व्यावसायिक जीवन और घरेलू जीवन को प्रभावित करने वाले विकल्पों में भाग लेने और उन्हें प्रभावित करने की क्षमता रखती है। निर्णय लेना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो कई संभावित विकल्पों के बीच एक विश्वास या कार्रवाई का एक तरीका है जो तर्कसंगत या तर्कहीन हो सकता है।

गैल्विन और ब्रोमेल के अनुसार, पारिवारिक निर्णय लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जो तनाव से भरी हो सकती है, बेहद सुखद और फायदेमंद, दोनों या कहीं बीच में। निर्णय लेने की प्रक्रिया में, परिवार सदस्यों के बीच मतभेदों को संबोधित कर सकते हैं। जेम्स एटकिंसन और टिमोथी स्टीफन (1990) के अनुसार, निर्णय लेना मूल्यों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को कई कारक प्रभावित करते हैं।

मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार, भारत लिंग संबंधी विकास सूचकांक (जीडीआई) में 0.795 के मूल्य के साथ 130 वें स्थान पर है और मानव विकास सूचकांक में 0.609 के मूल्य के साथ, जो मध्यम मानव विकास वाले देशों की सूची में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला श्रमिक आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल महिला श्रमिकों में से 72 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में कृषक या कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं, 21.7 प्रतिशत सभी गैर-कृषि मजदूरों और उद्योगों में कार्यरत हैं, और शेष 6.3 प्रतिशत घरेलू उद्योगों में कार्यरत हैं। 2011 के एनएसएसओ डेटा के अनुसार, भारत में लगभग 3.9 मिलियन घरेलू कामगार हैं। इनमें से अधिकांश कमजोर समुदायों, यानी आदिवासी, दलित या भूमिहीन अन्य पिछड़े समुदायों से हैं

कामगार / कामकाजी महिलायें कौन हैं — कामकाजी महिला का उपयोग उस महिला का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग ले रही है अर्थात् कामगार महिला मुख्यतया किसी भी ऐसे महिलाओं के लिए किया जा सकता है जो प्रायः किसी भी प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी किसी भी व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक गतिविधि कर रही हैं।

यह विभिन्न क्षेत्रों में उसकी भूमिका को दर्शाता है जहाँ वह आजीविका कमाने के लिए अपने कौशल और प्रयासों का योगदान देती है। अन्य संदर्भों में कामकाजी महिला के अन्य अनुवाद या व्याख्याओं में रोजगारी औरत और मुलाजिमा शामिल हैं, ये शब्द उसकी रोजगार स्थिति और काम से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी पर जोर देते हैं। प्रासंगिक रूप में इसका उपयोग रोजमर्रा की भाषा में, इस शब्द का इस्तेमाल उन महिलाओं पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है जो समाज में अपनी दोहरी भूमिकाओं को दर्शाते हुए, व्यक्तिगत कर्तव्यों के साथ-साथ पेशेवर ज़िम्मेदारियों को संतुलित करती हैं।

साहित्य समीक्षा— भारत सरकार के अनुसार, एक महिला उद्यम वह है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण एक महिला द्वारा किया जाता है जिसकी पूंजी में न्यूनतम 51 प्रतिशत वित्तीय हित होता है और जो कम से कम 51 प्रतिशत उत्पन्न रोजगार महिलाओं को देती है।

मायरा एट अल. (2021) ने जांच की कि अधिकांश भारतीय महिलाओं को निर्णय लेने पर नियंत्रण है। जन्म देने सहित हर पहलू में महिलाओं के जीवन की पसंद प्रभावित होती है, और उनकी प्राथमिकताओं को कब्रिस्तान में फेंक दिया जाता है।

चेन और महमूद (1995) के अनुसार, किसी भी समाज में महिला सशक्तिकरण एक प्रगतिशील परिवर्तन है, जो धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाता है, जहाँ समाज मुख्य रूप से पुरुष-प्रधान है। एक सशक्त महिला स्वतंत्रता की ओर बढ़ती है और संसाधनों पर अधिकार का दावा करने में सक्षम होती है।

एलेनडॉर्फ (2012) द्वारा भारतीय महिलाओं पर किए गए एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि पारिवारिक संबंधों की गुणवत्ता के सकारात्मक पहलू महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं। पारिवारिक बंधनों की मजबूती, विशेष रूप से वैवाहिक बंधन, परिवार में निर्णय लेने की महिलाओं की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सुनीता किशोर और कमला गुप्ता (2009) के अनुसार, उनकी पुस्तक लैंगिक समानता और भारत में महिला सशक्तिकरण में उन्होंने पाया कि महिलाओं की निम्न स्थिति सभी व्यावसायिक क्षेत्रों और उद्योगों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कम मजदूरी दरों, उनकी सीमित ऊर्ध्व गतिशीलता और तलाक, परित्याग आदि के कारण उनकी अधिक पारिवारिक जिम्मेदारियों में प्रकट होती है। पारिवारिक मुद्दों में उनके पास कम निर्णय लेने की शक्ति होती है। विकासशील देशों में, महिलाओं की निम्न स्थिति न केवल उनके काम को कम भुगतान किए जाने, पहचान न किए जाने में परिलक्षित होती है, बल्कि उत्पादक संसाधनों और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सहायक सेवाओं तक उनकी सीमित पहुँच में भी परिलक्षित होती है।

रुस्तोगी (2004) ने संकेतकों के विविध सेट की मदद से महिलाओं की स्थिति को मापने की कोशिश की। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को मापने के लिए भारतीय राज्यों में कुछ व्यापक संकेतकों का चयन किया जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्तित्व, निजी/सार्वजनिक निर्णय लेने में भागीदारी और सुरक्षा/सुरक्षा।

पांडे, पूर्णिमा एट अल (2021) ने अपने शोध पत्र में घरेलू परिवार के रूप में महिलाओं की भागीदारी शीर्षक दिया है। पटना मेट्रोपॉलिटन सिटी, बिहार, भारत के एक अध्ययन से पता चला है कि शिक्षा, आय, धर्म, व्यवसाय आदि सहित निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं। इस शोध से यह भी पता चला है कि किसी विशेष स्थान का इतिहास भी महिलाओं की घरेलू निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करता है।

एलेनडॉर्फ (2012), ने पाया कि पारिवारिक बंधनों की मजबूती, खास तौर पर वैवाहिक बंधन, परिवार में निर्णय लेने की महिलाओं की क्षमता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर, महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और आय स्वायत्तता और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे देखते हुए, वर्तमान अध्ययन भारत में घरेलू स्तर पर महिलाओं के निर्णय लेने और अन्य गतिविधियों का विश्लेषण करता है।

शर्मा, राव और शर्मा (2013) के शोध में कहा गया है कि ग्रामीण परिवारों में खेती से जुड़े अधिकांश निर्णयों में पुरुषों का वर्चस्व है। भूमि, मशीनों और अन्य कृषि उपकरणों की खरीद-फरोख्त, फसल की कटाई और पशुधन प्रबंधन से जुड़े निर्णय मुख्य रूप से परिवार के मुखिया या पतियों द्वारा लिए जाते थे।

गोगदंड और हेमबडे (2014) के निष्कर्षों से स्पष्ट रूप से पता चला है कि कोई भी महिला अपने पति की अनुमति के बिना जानवरों को बेचने का निर्णय नहीं लेती है। घर में दूध की खपत के लिए पूरा निर्णय पति द्वारा लिया जाता है, इसलिए कोई भी महिला अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती है।

गोपाल कृष्ण (2017) के अनुसार पिछले दशक में, महिलाओं को किसी भी सामाजिक गतिविधि में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था और उन्हें परिवार में किसी भी बुनियादी नेतृत्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जाता था। प्रांतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति और भी खराब थी। हालांकि, बदलते समय के साथ, महिलाएं वेतन उत्पादक गतिविधियों में लगी हुई हैं।

आशा बेगम (2018) के अनुसार, इस तथ्य के बावजूद कि महिलाएं दुनिया की कुल आबादी का आधा हिस्सा हैं, उनकी सामाजिक मौद्रिक और राजनीतिक स्थिति पुरुषों की तुलना में कम है और वे लंबे समय से एक विशेष मांग के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के अधीन हैं और आज भी स्वीकार की जाती हैं।

शोध की समस्या— यह अध्ययन भारतीय परिवारों के भीतर निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिकाओं की जटिलता को रेखांकित करता है, क्योंकि महिलाओं को बच्चों की शिक्षा और विवाह जैसे घरेलू मामलों से संबंधित आवर्ती निर्णयों में अपनी बात कहने का अधिकार हो सकता है, लेकिन जब परिवार में किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने और बेचने का निर्णय हो तो उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अर्थात् उन्हें अपने घर-परिवार, रिश्ते-नाते के साथ-साथ ऑफिस सबको ठीक से चलाना पड़ता है और इन सबमें प्रमुख है दोनों के बीच संतुलन, यदि महिलाये किसी भी एक पक्ष को गलती से भी अनदेखा करने की कोशिश करती हैं तो उनके जीवन की गाड़ी डगमगाने लगती है। कई परिवारों में, निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं, जो कभी-कभी व्यक्तिगत महिलाओं की आवाज़ को कमजोर कर सकता है।

इन सभी तथ्यों के स्पष्ट होने के साथ एक समस्या निकल कर आई है कि कामगार महिलाओं में भूमिका निर्वाहन की समस्या अभी भी बनी हुई और वह आज भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र न हो कर पुरुषों पर निर्भर या आश्रित हैं और इसी का आनुभविक अध्ययन करना है।

शोध प्ररचना— यह एक अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना पर आधारित अध्ययन है, इसे एक ऐसे शोध के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपयोग किसी ऐसी समस्या की जांच करने के लिए किया जाता है जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह मौजूदा शोध समस्या की बेहतर समझ रखने के लिए किया जाता है, लेकिन यह निर्णायक परिणाम प्रदान नहीं करेगा। आमतौर पर यह अध्ययन तब किया जाता है जब समस्या प्रारंभिक अवस्था में होती है। इसे अक्सर ग्राउंडेड थ्योरी दृष्टिकोण या व्याख्यात्मक शोध के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग क्या, क्यों और कैसे जैसे सवालों के जवाब देने के लिए किया जाता है। खोजपूर्ण शोध एक कार्यप्रणाली दृष्टिकोण है जो उन शोध प्रश्नों की जांच करता है जिनका पहले गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है। अन्वेषणात्मक शोध अक्सर गुणात्मक और प्राथमिक प्रकृति का होता है।

अध्ययन का उद्देश्य— इस अध्ययन में अखिल भारतीय औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति की जांच करने का प्रयास किया गया है। यह ज्ञात करना की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को प्रभावित करती है। समय के साथ परिवर्तनों का मूल्यांकन करना कि परिवार के निर्णय लेने में महिलाओं के दृष्टिकोण और भूमिकाएँ कैसे विकसित हुई है

शोध प्रविधि— जब किसी भी समस्या के बारे में बहुत कम जानकारी हो, उस चीज पर शोध करना मुश्किल लग सकता है अन्वेषणात्मक शोध तब किया जाता है जब किसी विषय को गहराई से समझने की

आवश्यकता होती है, खासकर अगर यह पहले नहीं किया गया हो। यह अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़े मुख्य रूप से सरकार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), भारत के रजिस्ट्रार आदि की जनगणना रिपोर्टों से एकत्र किए जाते हैं। शेष भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति की जांच विभिन्न संकेतकों के आधार पर की जाती है, जैसे महिला साक्षरता (एफएल), महिला कार्यबल भागीदारी दर (एफडब्ल्यूपीआर), सकल नामांकन अनुपात, ड्रॉपआउट दर, लिंग अनुपात, महिला शिशु मृत्यु दर, विवाह की आयु और निर्णय लेने/महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भागीदारी। ज्यादातर, विभिन्न संकेतकों में राज्यों की रैंकिंग की विधि की मदद से स्थिति की जांच की जाती है।

तथ्य संकलन की विधि— तथ्य संग्रह के लिए द्वितीयक स्रोतों से सहायता ली गई है।

द्वितीयक स्रोत— द्वितीयक स्रोत के रूप में वर्तमान अध्ययन विषय से सम्बन्धित शोध प्रबन्धों पुस्तकों का अध्ययन करके द्वितीयक तथ्यों का संकलन किया गया है। द्वितीयक शोध में पहले से प्रकाशित प्राथमिक शोध से जानकारी एकत्र की जाती है। इस तरह के शोध में आप केस स्टडी, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, किताबें आदि जैसे स्रोतों से जानकारी एकत्र करते हैं। इस शोध प्ररचना के आधार पर मुख्यतः दो स्रोतों पर अत्यधिक बल दिया गया है। साहित्य शोध जिसमें पुस्तकालयों, ऑनलाइन स्रोतों या यहाँ तक कि वाणिज्यिक डेटाबेस में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध है। स्रोतों में समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकालय की पुस्तकें, सरकारी एजेंसियों के दस्तावेज़, विशिष्ट विषय से संबंधित लेख, साहित्य, वार्षिक रिपोर्ट, शोध संगठनों से प्रकाशित आंकड़े आदि शामिल हो सकते हैं। निर्णय लेने में उनकी भूमिकाओं के बारे में महिलाओं से विस्तृत विवरण एकत्र करने के लिए विभिन्न साहित्यिक स्रोतों को विश्लेषित किया गया है।

केस स्टडी में शोधकर्ता को बस यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वह अपने मामले के विरुद्ध पिछले मामले में मौजूद सभी चर के संबंध में मामले का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करे। इसका प्रयोग आमतौर पर व्यापारिक संगठनों या सामाजिक विज्ञान क्षेत्र या यहां तक कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी किया जाता है।

कार्य क्षेत्र का विवरण— कानपुर नगर की भौगोलिक संरचना— कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यह शहर भारत के चमड़ा शहर के नाम से लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ कई टेनरी हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े के उत्पाद बनाती हैं। यह शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 605 वर्ग किलोमीटर है। यह शहर समुद्र तल से 126 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। कानपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नज़दीक है और लखनऊ से 74 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण शहर इलाहाबाद कानपुर से 254 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

कानपुर की जनसंख्या – जिले की कुल जनसंख्या 4,581,268 है, जिसमें 1,565,623 ग्रामीण और शेष 3,015,645 शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। जिले में तीन तहसीलें हैं, बिल्हौर, कानपुर और घाटमपुर, जो शहरी आबादी से रहित हैं। सबसे अधिक आबादी वाली तहसील कानपुर है, उसके बाद घाटमपुर और बिल्हौर सबसे कम आबादी वाली तहसील है। जिले में शहरी आबादी 65.8 :है। कानपुर तहसील में शहरी आबादी सबसे अधिक 84.5 :है। 1,003 राजस्व गांव हैं, जिनमें से 101 निर्जन हैं। कुल ग्रामीण आबादी 1,565,623 10 सीडी ब्लॉकों में फैली हुई है। सबसे अधिक आबादी वाला सीडी ब्लॉक घाटमपुर है जिसकी जनसंख्या 211,778 है, लेकिन सबसे अधिक बसे हुए गांव (128) शिवराजपुर सीडी ब्लॉक में हैं।

केस स्टडी— आशा देवी 40 साल की शादीशुदा महिला हैं। वह 8वीं पास है। उन्होंने दो बार शादी की है और एक गृहिणी हैं। उनकी पहली शादी से उनकी एक बेटी और एक बेटा हैं। आशा देवी को उनके पहले पति ने तलाक दे दिया था। हरिजन समाज के रीति-रिवाजों के अनुसार, तलाक के बाद बच्चे अपने

पिता के साथ रहते हैं। इसलिए, आशा देवी उनकी एक बेटी और एक बेटा अपने पिता के साथ रहती हैं। उनकी एक बेटी विकलांग है। चूँकि पहले पति का किसी दूसरी महिला से संबंध था, इसलिए उन्होंने समुदाय के खिलाफ जाकर दूसरी शादी की और यह एक प्रेम विवाह है। कानपुर में रहने वाली आशा देवी को जाति से बाहर शादी करने के कारण बहिष्कृत कर दिया गया है। वह अपनी माँ के घर या अपनी जाति के लोगों के पास नहीं आ सकती। वह अपने परिवार के लिए सभी निर्णय लेती है। हालाँकि वह एक गृहिणी है, लेकिन वह कभी-कभी दूसरों के खेतों में काम करने जाती है और अपने परिवार की मदद करती है।

पारिवारिक निर्णय लेना – आशा देवी अपने परिवार में खुश है और उसके परिवार के आर्थिक और सामाजिक कारकों का उसके परिवार की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। वह हमेशा अपने परिवार के मामलों में फैसला लेती है। हालाँकि आशा देवी ने दूसरी जाति से शादी की है, लेकिन वह परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है।

वह अपने परिवार में आने वाली वित्तीय कठिनाइयों या किसी अन्य कठिनाई के प्रति सतर्क रहती है और परिवार के अन्य सदस्यों को सही निर्णय लेने में मदद करती है। 8वीं कक्षा तक की उसकी शिक्षा पारिवारिक निर्णय लेने में उसके लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि वह पढ़-लिख सकती है और उसे अपने आस-पास क्या हो रहा है, इसका अच्छा अंदाज़ा है। हालाँकि उसकी शादी दूसरी जाति से हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके निर्णय पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उसके आस-पास या उसके करीबी लोग उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। चूँकि वह शिक्षित है, इसलिए वह अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है। उसे हमेशा दूसरों के साथ सही तरीके से संवाद करना और सही तरह के संबंध रखना मददगार लगता है। यही कारण है कि ये सभी कारक उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया और उसके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हालाँकि आशा देवी को अपनी दूसरी शादी के बाद अपने मायके या हरिजन समुदाय से उचित समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों से अच्छा समर्थन मिलता है। परिवार के सभी सदस्य उसके निर्णय लेने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं। जिस तरह से वह अपने घर और अपनी आय का प्रबंधन करती है, उसका असर परिवार के विकास में दिखता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा है और वह अपने परिवार के लोगों को प्रोत्साहित करती हुई दिखाई देती है।

चर्चा और चिंतन अपने पूर्व पति के विवाहेतर किसी अन्य से संबंधों होने के कारण, आशा देवी ने उसे छोड़ दिया और दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी कर ली एवं नए ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध बनाए और सभी पारिवारिक मामलों में नेतृत्व किया। उसने अपने परिवार और वित्त प्रबंधन कौशल का प्रदर्शन किया जिसने उसे खुशी से रहने में मदद की, भले ही उसकी दूसरी शादी एक अंतरजातीय थी। यह दर्शाता है कि दूसरी जाति उसके निर्णय लेने के कौशल को स्वीकार करती है।

आकड़ों का विश्लेषण एवं निष्कर्षीकरण– उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहाँ सामाजिक-आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और भारतीय औसत और भारत के कई अन्य दक्षिणी राज्यों की तुलना में कम है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य सुविधा की पहुँच की स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है। सामाजिक और पारंपरिक मान्यताओं ने भी महिलाओं की स्थिति को उनके परिवारों के साथ-साथ समाज में भी खराब बना दिया है (दास और नागला, 2013)।

भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में महिला श्रमिकों की कुल संख्या 149.8 मिलियन है तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिक क्रमशः 121.8 और 28.0 मिलियन हैं। कुल 149.8 मिलियन महिला श्रमिकों में से 35.9 मिलियन महिलाएँ कृषक के रूप में काम कर रही हैं तथा अन्य 61.5 मिलियन कृषि मजदूर हैं। शेष महिला श्रमिकों में से 8.5 मिलियन घरेलू उद्योग में हैं तथा 43.7 मिलियन अन्य श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 2001 के 25.63 प्रतिशत की तुलना में 2011 में 25.51 प्रतिशत है। महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 2011 में मामूली रूप से कम हुई है, लेकिन 1991 के 22.27 प्रतिशत और 1981 के 19.67 प्रतिशत की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 30.02 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 15.44 प्रतिशत है।

रोजगार पर सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट (पीएलएफएस) जनवरी-मार्च 2024 के मुताबिक, देश में आज़ादी के सात दशकों के बाद पहली बार नौकरियों में शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक हो गई है। जनवरी-मार्च 2024 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का त्रैमासिक बुलेटिन "भारत सरकार" द्वारा प्रकाशित यह व्यापक रिपोर्ट, श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर सहित रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है।

शहरों में कुल 52.1 प्रतिशत महिलाएँ और 45.7 प्रतिशत पुरुष कामकाजी हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ नौकरियों में अभी भी पुरुषों से पीछे हैं, हालाँकि पिछले छह वर्षों में उनकी हिस्सेदारी दोगुनी हुई है और यह 5.5 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत तक पहुँच गई है। शहरी कामकाजी महिलाओं में से 52.1 प्रतिशत नौकरीपेशा, 34.7 प्रतिशत स्वरोजगार तथा 13.1 प्रतिशत अस्थायी श्रमिक हैं, इससे पहले 2011-12 में हुए NSSO सर्वे में शहरी नौकरीपेशा महिलाओं का प्रतिशत 42.8 था और इतनी ही महिलाएँ स्वरोजगार में थीं तथा 14.3 प्रतिशत अस्थायी श्रमिक थीं। गौर से देखने पर पता चलता है कि पिछले छह वर्षों में स्थिति बदली है और स्वरोजगार एवं अस्थायी मजदूरों में महिलाओं की हिस्सेदारी घटी है, जबकि नौकरी में उनकी हिस्सेदारी करीब 10 प्रतिशत बढ़ी है।

यह पूर्णता सत्य है कि किसी भी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के शैक्षिक स्तर के आधार पर किया जाता है और यह अनुमान लगाया जाता है कि जिस समाज का जैसा शैक्षिक स्तर होगा, वहाँ रोजगार की उपलब्धता उतनी ही सीमित होगा जिसमें ज्ञान के आधार रोजगार या नौकरी का अवसर प्राप्त होगा, यहाँ पर कुछ अवधारणा को स्पष्ट करना अति आवश्यक है ताकि आगे के विश्लेषण को अधिक स्पष्ट समझा जा सके –

कार्य— कार्य को किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में भागीदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें पारिश्रमिक, मजदूरी या लाभ हो या न हो। ऐसी भागीदारी शारीरिक और/या मानसिक प्रकृति की हो सकती है। कार्य में न केवल वास्तविक कार्य शामिल है, बल्कि कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण और निर्देशन भी शामिल है। इसमें खेत, पारिवारिक उद्यम या किसी अन्य आर्थिक गतिविधि में अंशकालिक सहायता या अवैतनिक कार्य भी शामिल है। ऊपर परिभाषित 'कार्य' में लगे सभी व्यक्ति श्रमिक हैं। ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु यह है कि गतिविधि आर्थिक रूप से उत्पादक होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को श्रमिक और गैर-श्रमिक के रूप में निर्धारित करने के लिए संदर्भ अवधि गणना की तिथि से एक वर्ष पहले की है।

मुख्य श्रमिक— वह व्यक्ति जिसने संदर्भ अवधि के अधिकांश भाग (यानी गणना की तिथि से पहले पिछले एक वर्ष के दौरान छह महीने या उससे अधिक) के लिए किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में काम किया है, उसे 'मुख्य श्रमिक' कहा जाता है।

सीमांत श्रमिक— वह व्यक्ति जिसने संदर्भ अवधि (यानी गणना की तिथि से पहले पिछले एक वर्ष में) के 3 महीने या उससे कम लेकिन छह महीने से कम समय के लिए किसी भी आर्थिक गतिविधि में काम किया है, उसे 'सीमांत श्रमिक' कहा जाता है।

गैर-श्रमिक— वह व्यक्ति जिसने संदर्भ अवधि (अर्थात् गणना की तिथि से पहले का अंतिम एक वर्ष) के दौरान किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में बिल्कुल भी काम नहीं किया है, उसे गैर-श्रमिक कहा जाता है।

कृषक— जनगणना के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को कृषक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह पैसे, वस्तु या शेयर के रूप में भुगतान के लिए सरकार या निजी व्यक्तियों या संस्थानों से स्वामित्व वाली भूमि पर खेती में लगा हुआ है।

कृषि मजदूर— वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर नकद या वस्तु या शेयर के रूप में मजदूरी के लिए काम करता है, उसे कृषि मजदूर माना जाता है। उसे खेती में कोई जोखिम नहीं होता है, बल्कि वह मजदूरी के लिए दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर काम करता है। एक कृषि मजदूर को उस ज़मीन पर पट्टे या अनुबंध का कोई अधिकार नहीं होता है जिस पर वह काम करता है।

घरेलू उद्योग कार्यकर्ता— घरेलू उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर या गांव के भीतर परिवार के एक या अधिक सदस्यों द्वारा संचालित उद्योग के रूप में परिभाषित किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में केवल उस घर के परिसर में जहां परिवार रहता है।

अन्य श्रमिक— ऐसा व्यक्ति जो संदर्भ अवधि के अंतिम वर्ष में किसी आर्थिक गतिविधि में लगा हो, लेकिन कृषक या कृषि मजदूर या घरेलू उद्योग में कामगार के रूप में नहीं। इस श्रेणी में आने वाले श्रमिकों में सभी सरकारी कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, कारखाना श्रमिक, बागान श्रमिक, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, पुजारी, मनोरंजन कलाकार आदि शामिल हैं। वास्तव में, कृषक या कृषि मजदूर या घरेलू उद्योग श्रमिकों के अलावा वे सभी श्रमिक अन्य श्रमिक हैं।

कार्य सहभागिता दर— कुल जनसंख्या में श्रमिकों (मुख्य + सीमांत) का प्रतिशत। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है। इन अवधारणाओं के स्पष्टीकरण से अब यह समझा जा सकता है कामगार जनसंख्या का योगदान जिस भी क्षेत्र में उसके पीछे शिक्षा की क्या भूमिका है —

डिस्ट्रिक्ट हैन्डबुक कानपुर 2011 में दिए गए आकड़ों की समीक्षा करने पर जो तथ्य सामने आए हैं और उनसे जो सूचना मिली है वो इस प्रकार हैं—

2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर जिले में तहसील स्तर पर लिंग के आधार पर मुख्य श्रमिकों, सीमांत श्रमिकों और गैर श्रमिकों की संख्या और प्रतिशत दिया गया है। कुल श्रमिकों का अनुपात जिले की कुल आबादी का 34.32 प्रतिशत है। कुल श्रमिकों में 26.83 प्रतिशत मुख्य श्रमिक और 7.49 प्रतिशत सीमांत श्रमिक शामिल हैं और शेष 65.68 प्रतिशत गैर श्रमिक हैं। जिले में मुख्य श्रमिकों में पुरुषों की भागीदारी

दर 43.38 प्रतिशत और महिलाओं की 7.64 प्रतिशत है। पुरुष और महिला सीमांत श्रमिकों की हिस्सेदारी क्रमशः 9.46 और 5.20 प्रतिशत है। महिला सीमांत श्रमिकों का :पुरुषों की तुलना में कम है। तहसीलों में कुल श्रमिक (मुख्य और सीमांत) कानपुर तहसील में 33.73 प्रतिशत से लेकर घाटमपुर तहसील में 38.26 तक भिन्न-भिन्न हैं। वहीं दूसरी ओर, 2011 की जनगणना के अनुसार जिले के शहरी क्षेत्रों में लिंग के आधार पर मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और गैर-श्रमिकों की संख्या और :दिया गया है। जिले में कुल श्रमिकों का अनुपात 33.47 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में 27.08 प्रतिशत मुख्य श्रमिक, 6.40 प्रतिशत सीमांत श्रमिक और शेष 66.53 प्रतिशत गैर-श्रमिक हैं। मुख्य श्रमिकों में, जिले में पुरुष भागीदारी दर 44.07 प्रतिशत है जबकि महिला भागीदारी दर 7.28 प्रतिशत है। पुरुष और महिला सीमांत श्रमिकों की हिस्सेदारी क्रमशः 8.68 प्रतिशत और 3.73 प्रतिशत है। महिला सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में बहुत कम है।

अब यह देखा जा सकता है कि जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों के अलावा अन्य है, जैसा कि इस तथ्य से समर्थित है कि अन्य श्रमिकों की संख्या 66.54 प्रतिशत है, इसके बाद कृषि मजदूर हैं जो कुल श्रमिकों (मुख्य+सीमांत) का 16.46 प्रतिशत हैं और शेष 12.63 प्रतिशत खेती करते हैं और 4.37 प्रतिशत घरेलू उद्योग श्रमिक हैं।

कानपुर तहसील में आर्थिक गतिविधि की चार श्रेणियों के अनुसार श्रमिकों का वितरण अन्य कार्यों पर जनसंख्या की बहुत अधिक निर्भरता को दर्शाता है, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक (81.57) कार्यरत हैं। अन्य तहसीलों में घाटमपुर तहसील में अन्य श्रमिकों का अनुपात 22.44 प्रतिशत और बिल्हौर तहसील में 23.05 प्रतिशत है। कानपुर तहसील में कृषि मजदूरों का अनुपात 8.22 :और घाटमपुर तहसील में 43.53 प्रतिशत के बीच बदलता रहता है। महिला कृषि मजदूरों का प्रतिशत 24.07 प्रतिशत है जो कि जिले में पुरुष कृषि मजदूरों के 14.87 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिले में कृषकों और घरेलू उद्योग श्रमिकों का प्रतिशत भी कम है।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रमिक (मुख्य+सीमांत) कुल जनसंख्या का 35.95 प्रतिशत हैं। इन श्रमिकों में कृषक 32.33 प्रतिशत, कृषि मजदूर 40.88 प्रतिशत, घरेलू उद्योग श्रमिक 3.40 प्रतिशत तथा अन्य श्रमिक 23.39 प्रतिशत हैं। कृषि क्षेत्र ग्रामीण जनसंख्या के कार्यबल को रोजगार प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाता है, बावजूद इसके कि यह वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उद्योग भी अधिक प्रगति नहीं कर सके, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है तथा ये घरेलू उद्योग कुल कार्यबल के केवल 3.40 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार देते हैं

जनवरी-मार्च 2024 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का त्रैमासिक बुलेटिन—

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित यह व्यापक रिपोर्ट, श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर सहित रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है। बुलेटिन विभिन्न क्षेत्रों में पुरुष और महिला श्रमिकों के वितरण की जानकारी प्रदान करता है। पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) के बारे में मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं—

जनवरी-मार्च 2024 के त्रैमासिक बुलेटिन में विभिन्न क्षेत्रों में पुरुष और महिला श्रमिकों के वितरण के बारे में जानकारी दी गई है। पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) के बारे में मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं—

श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)

आयु समूह: 15 वर्ष और उससे अधिक

पुरुष	जनवरी - मार्च 2024	74.4%
महिलाये	जनवरी - मार्च 2024	25.6%

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)

आयु समूह: 15 वर्ष और उससे अधिक

पुरुष	जनवरी - मार्च 2024	69.8%
महिलाये	जनवरी - मार्च 2024	23.4 %

क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र		पुरुष	महिलाये
कृषि		4.5%	9.8%
द्वितीयक क्षेत्र		33.8%	26.7 %
तृतीयक क्षेत्र		61.7%	63.4%

जनवरी-मार्च 2024 के त्रैमासिक बुलेटिन में, विभिन्न क्षेत्रों में महिला श्रमिकों का वितरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है—

कृषि क्षेत्र 9.8 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र (खनन और उत्खनन सहित) 26.7 प्रतिशत, तृतीयक क्षेत्र 63.4 प्रतिशत

निष्कर्ष यह निकलता है कि अधिकांश महिला श्रमिक तृतीयक क्षेत्र (63.4 प्रतिशत) में कार्यरत हैं, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र (26.7 प्रतिशत), और कृषि क्षेत्र (9.8 प्रतिशत) में एक छोटा अनुपात है।

जनवरी-मार्च 2024 के त्रैमासिक बुलेटिन में रिपोर्ट की गई महिलाओं के लिए महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात (FWPR) इस प्रकार है—

महिलाओं के लिए FWPR (आयु: 15 वर्ष और उससे अधिक)

क्षेत्र	वर्ष	%
जनवरी-मार्च	2023	20.6%
अप्रैल-जून	2023	21.1 %
जुलाई-सितंबर	2023	21.9%
अक्टूबर-दिसंबर	2023	22.9%
जनवरी-मार्च	2024	23.4%

यह रिपोर्ट की गई अवधि में महिलाओं के लिए FWPR में क्रमिक वृद्धि को दर्शाता है, जो जनवरी-मार्च 2024 में 23.4% तक पहुँच गया

जनवरी-मार्च 2024 की अवधि के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू डेटा में निम्नलिखित मुख्य जानकारी शामिल है

उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू डेटा:

सर्वेक्षण किए गए शहरी प्रेम सर्वेक्षण (यूएफएस) ब्लॉकों की कुल संख्या लगभग 408 ब्लॉक एवं सर्वेक्षण किए गए कुल परिवार 3,238 परिवार

आयु समूहों के अनुसार जनसंख्या:

आयु	व्यक्ति
15 वर्ष से अधिक	5,492
15 – 29	1,129 व्यक्ति
15 - 59	1,357 व्यक्ति

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए जनवरी-मार्च 2024 की अवधि के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) डेटा में निम्नलिखित प्रमुख संकेतक शामिल हैं।

महिलाओं के लिए शहरी स्वरूप डेटा— शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए कुल घर कुल घर 44,598 घर शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या 169,459 व्यक्ति

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)— शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशिष्ट डब्ल्यूपीआर सारांश में विस्तृत नहीं है, लेकिन यह समग्र डब्ल्यूपीआर डेटा का हिस्सा है।

श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) डब्ल्यूपीआर के समान, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एलएफपीआर समग्र एलएफपीआर डेटा में शामिल है, लेकिन महिलाओं के लिए विशिष्ट आंकड़े प्रदान नहीं किए गए थे।

कानपुर नगर के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह ज्ञात होता है कि,

15 वर्ष और अधिक आयु के लोगों के बीच शहर क्षेत्र के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) अप्रैल-जून, 2023 के 48.8: के रचना अप्रैल-जून, 2024 में वृद्धि 50.1 प्रतिशत हो गया अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि कानपुर और अन्य शहरी क्षेत्रों में श्रम बल में वृद्धि हो रही है।

रोजगार में वृद्धि विभिन्न जनजातियों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की वर्तमान स्थिति में श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2023 में 56.2 प्रतिशत हो गई थी, जबकि 2022 में यह 52.8 प्रतिशत थी। इससे रोजगार अवसरों में लगातार वृद्धि हुई है।

महिला श्रम शक्ति महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी की दर में भी महत्वपूर्ण बदलाव आये हैं। वर्तमान महिला श्रम शक्ति की भागीदारी के मामले में राष्ट्रीय दर 39.80 प्रतिशत है, जबकि यूपी की भागीदारी 32.10 प्रतिशत तक पहुंच है। इससे यह संकेत मिलता है कि महिलाओं के रोजगार में भी वृद्धि हुई है।

यदि विगत वर्षों में हुए सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा करे तो , महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLFPR)—2021–22 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए FLFPR 32.8 प्रतिशत थी, जो 2017–18 में 23.3 प्रतिशत से वृद्धि दर्शाती थी, जो इन वर्षों में 9.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाती हुई थी। आगे चलकर जब इस रिपोर्ट को दो क्षेत्रों में विभक्त करके देखा गया तो ग्रामीण क्षेत्रों में, 2017–18 में 24.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में 36.6 प्रतिशत हो गई थी, जो उस वर्ष के नवीन प्राप्त आकड़ों में पहले के आकड़ों में 12.0 प्रतिशत अंकों की वृद्धि को दर्शाता हुआ था, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में, एफएलएफपीआर 2021–22 में 23.8 प्रतिशत थी, जो 2017–18 में 20.4 प्रतिशत थी, जो 3.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है।

आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण महिलाओं का जो कि वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में कार्यरत था, 2017–18 में 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में 2.9 प्रतिशत हो गया, इसके अतिरिक्त, घरेलू कामों में लगी ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत 2017–18 में 40.8 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 28.3 प्रतिशत हो गया, जो अधिक आर्थिक भागीदारी की ओर बदलाव का संकेत देता है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महिला श्रम बल भागीदारी अभी भी वैश्विक औसत 47 प्रतिशत से कम है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें सराहनीय सुधार हुआ है,

महिला स्वास्थ्य और निर्णय के अधिकार का विश्लेषण –

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) 2019–21 के अनुसार , एनएफएचएस-5 के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 23.3 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई, जबकि एनएफएचएस-4 में यह 26.8 प्रतिशत दर्ज किया गया था। पुरुषों में कम उम्र में विवाह का आँकड़ा 17.7 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) और 20.3 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) है।

एनएफएचएस-4 के जन्म के बाद प्रति महिला 0.3 बच्चों की कमी हो और एनएफएचएस-5 के दौरान यह 2.4 बच्चे प्रति महिला रह गई। सर्वेक्षण से पहले पांच वर्षों में जिन 12.5 प्रतिशत समूहों में जीवित जन्म नहीं हुआ, उनमें से अधिकांश का जन्म (7.8 प्रतिशत) या गर्भपात (3.7 प्रतिशत) का परिणाम सामने आया था।

एनएफएचएस-4 के बाद 15–49 वर्ष की आयु के बीच महिलाओं के बीच गर्भनिरोधक का उपयोग 45.5 :से बढ़ाव 62.4 प्रतिशत हो गया है, जो लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि है। सर्वे में शामिल पुरुषों (15–49 साल की उम्र) का मानना है कि गर्भनिरोधक पूरी तरह से महिलाओं का मामला है। रिपोर्ट के अनुसार, जिन गर्भवती महिलाओं का कोई बेटा नहीं है, उनमें गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड परीक्षण की भविष्यवाणी कम से कम एक बेटे वाली महिलाओं की तुलना में अधिक है। दो बच्चों वाली महिलाओं में से, जिन महिलाओं का कोई बेटा नहीं है, उनमें से 74 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी अगली गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड परीक्षण अध्ययन की संभावना कम से कम एक बेटे वाली महिलाओं की तुलना में 63 प्रतिशत अधिक है।

निर्णय लेने में भागीदारी – 94.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने संकेत दिया कि उनकी शिक्षा और रोजगार के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ी है ,

संयुक्त निर्णय लेना— 89 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उनके परिवार अब संयुक्त निर्णय लेने को प्राथमिकता देते हैं

निर्णयों की सफलता — 56 प्रतिशत महिलाओं ने महसूस किया कि उनके पतियों द्वारा लिए गए निर्णयों की तुलना में उनके निर्णय अधिक सफल थे

निर्णयों से पहले चर्चा— 53.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले उनके परिवारों में चर्चा होती है ।

रिपोर्ट भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी के बारे में कई महत्वपूर्ण डेटा बिंदु प्रदान करती है—

सर्वेक्षण से पहले के 12 महीनों में 15–49 आयु वर्ग की केवल 21 प्रतिशत महिलाएँ कार्यरत थीं, जबकि पुरुषों में यह प्रतिशत 77 प्रतिशत था। कार्यरत महिलाओं में से 75 प्रतिशत नकद कमाती थीं, जिनमें से 13 प्रतिशत नकद और वस्तु दोनों कमाती थीं। इक्कीस :को बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया। कार्यरत 91 प्रतिशत पुरुषों ने नकद कमाया, जिनमें से 14 प्रतिशत नकद और वस्तु दोनों कमाते थे। कार्यरत 6 :पुरुषों को बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया। कार्यरत महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा (88 प्रतिशत) गैर-कृषि व्यवसायों में काम करता है, जबकि कार्यरत पुरुषों में यह प्रतिशत 59 प्रतिशत था। सर्वेक्षण से पहले के 12 महीनों में 15–49 आयु वर्ग की केवल 21 प्रतिशत महिलाएँ कार्यरत थीं। वर्तमान में विवाहित महिलाएँ जो काम करती हैं और जिन्हें नकद भुगतान किया जाता है, उनमें से 86 प्रतिशत यह तय करती हैं कि उनकी कमाई का उपयोग कैसे किया जाएगा, अकेले या अपने पतियों के साथ मिलकर। नकद के लिए काम करने वाली और जिनके पति नकद कमाते हैं, उनमें से 41 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि वे अपने पतियों से ज्यादा या लगभग बराबर कमाती हैं। वर्तमान में विवाहित पुरुषों में से 77 प्रतिशत जिनकी पत्नियाँ नकद कमाती हैं, रिपोर्ट करते हैं कि वे अकेले या अपनी पत्नियों के साथ मिलकर तय करते हैं कि उनकी कमाई का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और लगभग तीन-पाँचवें (59 प्रतिशत) पुरुष जिनकी नकद कमाई है और जिनकी पत्नियाँ नकद कमाती हैं, कहते हैं कि उनकी पत्नियाँ उनसे ज्यादा या लगभग बराबर कमाती हैं। निर्णय लेना वर्तमान में विवाहित महिलाओं से पूछा गया कि उनके अपने स्वास्थ्य की देखभाल, घर की बड़ी खरीदारी और अपने परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के बारे में कौन निर्णय लेता है।

महिलाओं के अपने स्वास्थ्य की देखभाल (82 प्रतिशत) के बारे में निर्णय लेने की संभावना उनके अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने या घर की बड़ी खरीदारी (81: प्रत्येक) के बारे में निर्णयों की तुलना में कुछ हद तक अधिक है। कुल मिलाकर, वर्तमान में विवाहित महिलाओं में से 74 प्रतिशत इन तीनों निर्णयों को लेने में भाग लेती हैं, और 13 प्रतिशत तीनों में से किसी भी निर्णय को लेने में भाग नहीं लेती हैं। तीनों निर्णयों में भागीदारी उम्र के हिसाब से सबसे ज्यादा अलग-अलग होती है, जो 15–19 आयु वर्ग की महिलाओं में 57 प्रतिशत से बढ़कर 40–49 आयु वर्ग की महिलाओं में 78 प्रतिशत हो जाती है। वर्तमान में विवाहित पुरुषों के मामले में, महिलाओं की तुलना में उनके द्वारा यह रिपोर्ट करने की संभावना बहुत ज्यादा है कि वे अकेले या अपनी पत्नियों के साथ मिलकर अपने स्वास्थ्य देखभाल के बारे में निर्णय लेने में भाग लेते हैं (93 प्रतिशत) और 95 प्रतिशत प्रमुख घरेलू खरीद के बारे में निर्णय लेने में भाग लेते हैं। कुल

मिलाकर, वर्तमान में विवाहित पुरुषों में से 90 प्रतिशत इन दोनों निर्णयों को लेने में भाग लेते हैं, और केवल 2 प्रतिशत पुरुष इनमें से किसी भी निर्णय को लेने में भाग नहीं लेते हैं।

उत्तर प्रदेश में, आधे से ज्यादा (55 प्रतिशत) महिलाओं के पास पैसा है जिसका इस्तेमाल वे खुद तय कर सकती हैं। शहरी (60 प्रतिशत) महिलाओं में ग्रामीण (53 प्रतिशत) महिलाओं की तुलना में ज्यादा है, उम्र के साथ तेजी से बढ़ता है, 12 या उससे ज्यादा साल की स्कूली शिक्षा वाली महिलाओं में बहुत ज्यादा है (61 प्रतिशत), और नकद के लिए काम करने वाली महिलाओं में सबसे ज्यादा है (67 प्रतिशत) किसी भी अन्य महिला समूह की तुलना में। तीन-चौथाई महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिसका इस्तेमाल वे खुद करती हैं। पचहत्तर प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिसका इस्तेमाल वे खुद करती हैं। यह प्रतिशत उन महिलाओं में खास तौर पर ज्यादा है जिन्होंने 12 या उससे ज्यादा साल की स्कूली शिक्षा ली है (85 प्रतिशत)।

38 प्रतिशत महिलाओं को अपने क्षेत्र में माइक्रोक्रेडिट कार्यक्रम के बारे में पता है किन्तु, माइक्रोक्रेडिट कार्यक्रमों के बारे में महिलाओं का ज्ञान और उपयोग बहुत सीमित है केवल 5 प्रतिशत ने कभी माइक्रोक्रेडिट कार्यक्रम से ऋण लिया है। तीन-चौथाई महिलाओं के पास एक बैंक या बचत खाता है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं। 75 प्रतिशत महिलाओं के पास एक बैंक या बचत खाता है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं। यह प्रतिशत उन महिलाओं में विशेष रूप से अधिक है जिन्होंने 12 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त की है (85%)।

सम्पूर्ण जनसंख्या के 1/5 भाग से भी कम लगभग (18 प्रतिशत) महिलाएं ऐसी हैं जो कि मोबाइल फोन रखती हैं, वे वित्तीय लेनदेन के लिए इसका उपयोग करती हैं। शहरी महिलाओं (25 प्रतिशत) द्वारा ग्रामीण महिलाओं (15 प्रतिशत) की तुलना में वित्तीय लेनदेन के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करती हैं और शिक्षा के साथ यह बढ़ता है,।

नकद कमाने वाली और मोबाइल फोन रखने वाली 24 प्रतिशत कार्यरत महिलाएँ वित्तीय लेन-देन के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करती हैं, जबकि नकद न कमाने वाली और मोबाइल फोन रखने वाली 17 प्रतिशत कार्यरत महिलाएँ ऐसा करती हैं।

संपत्ति का स्वामित्व उत्तर प्रदेश में 15-49 वर्ष की आयु की 51 प्रतिशत महिलाएँ और 66 प्रतिशत पुरुष अकेले या किसी और के साथ संयुक्त रूप से घर के मालिक हैं, और 43 प्रतिशत महिलाएँ और 56 प्रतिशत पुरुष अकेले या किसी और के साथ संयुक्त रूप से ज़मीन के मालिक हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच, घर और ज़मीन का स्वामित्व शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा आम है। 51 प्रतिशत महिलाएँ अकेले या किसी और के साथ मिलकर घर की मालिक हैं और 43 प्रतिशत महिलाएँ अकेले या किसी और के साथ मिलकर ज़मीन की मालिक हैं।

लिंग-भूमिका दृष्टिकोण दो-पाँचवें से अधिक (44 प्रतिशत) महिलाएँ इस बात से सहमत हैं कि कुछ परिस्थितियों में पति द्वारा अपनी पत्नी को मारना या पीटना उचित है। महिलाएँ इस बात से सबसे अधिक सहमत हैं कि यदि कोई महिला अपने ससुराल वालों के प्रति अनादर दिखाती है (28 प्रतिशत), उसके बाद यदि वह अपने पति से बहस करती है (23 प्रतिशत), यदि वह घर या बच्चों की उपेक्षा करती है (21 प्रतिशत) और यदि वह पति को बताए बिना बाहर जाती है (19 प्रतिशत) तो पत्नी को पीटना उचित है।

पुरुषों के इस बात से सहमत होने की संभावना कम है 38 प्रतिशत का कहना है कि कुछ परिस्थितियों में पत्नी की पिटाई जायज़ है, खासकर अगर पत्नी ससुराल वालों के प्रति अनादर दिखाती है तो (27 प्रतिशत) या अगर वह उससे बहस करती है तो (18 प्रतिशत) महिलाये इस हिंसा को उचित मानती हैं। यहाँ तक कि कम से कम 12 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करने वाली महिलाओं और पुरुषों में से भी 36 प्रतिशत महिलाओं और 32 प्रतिशत पुरुषों का कहना है कि पति द्वारा अपनी पत्नी को एक या अधिक कारणों से मारना या मारना जायज़ है।

निष्कर्ष — अब प्रश्न यह उठता है कि आधुनिक भारत में कामगार या कामकाजी महिलायें कौन हैं और वो कौन से ऐसे कारक हैं जो उन्हें प्रतिदिन अपने कार्य में जाने के लिए बाध्य करते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए विविध सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन किया गया जिसमें कामकाजी महिलाओं से संबंधित जो अवधारणा दी गई वो समकालीन परिस्थितियों का आकलन करके वर्णित की गई। सभी साहित्यों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष सामान्य रूप से प्राप्त होता है कि पहले की अपेक्षा में अब महिलाओं के लिए सभी सरकारी या गैर सरकारी वेतानिक श्रम में भागदारी बढ़ी है, इसका एक कारण यह है कि महिलाओं में शिक्षा की पहुँच एवं अवसर अति सुगम हो गई जिसके कारण वो एक स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं और इसके लिए वो परिवार के पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं। अब तो बाजार ने भी महिलाओं पर विश्वास दिखाया है और जिस प्रकार से उन्हें छोटे छोटे किशतों में ऋण उपलब्ध कराया है इससे यही पता चलता है अब महिलाये अपने निर्णय के आधार पर अपना कार्य क्षेत्र चुनती हैं और किसी दिशा में विकास करना है उसका मार्ग वो खुद निर्माण करती हैं। पहले की अपेक्षा अब महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLFPR) की दर में और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) की दरों में वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी के बारे में कई महत्वपूर्ण डेटा बिंदु प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर FLFPR 2017–18 में 24.6% से बढ़कर 2021–22 में 36.6 प्रतिशत हो गई, जो 12.0 प्रतिशत अंकों की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में, महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLFPR) 2021–22 में 23.8 प्रतिशत थी, जो 2017–18 में 20.4 प्रतिशत थी, जो 3.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में कार्यरत ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत 2017–18 में 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में 2.9 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, घरेलू कामों में लगी ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत 2017–18 में 40.8 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 28.3 प्रतिशत हो गया, जो अधिक आर्थिक भागीदारी की ओर बदलाव का संकेत देता है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महिला श्रम बल भागीदारी अभी भी वैश्विक औसत 47 प्रतिशत से कम है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें सराहनीय सुधार हुआ है, जो शिक्षा में वृद्धि और समाज में संरचनात्मक परिवर्तन जैसे कारकों से प्रेरित है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की दरों में भी पहले की अपेक्षा कुछ सीमा तक वृद्धि देखने को मिलता है।

ये समस्त आकड़ें भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी के उभरते परिदृश्य को दर्शाते हैं, जो प्रगति और चल रही चुनौतियों दोनों को दर्शाते हैं। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि महिलाये अपने वैवाहिक जीवन में काफी हद तक किसी प्रकार का निर्णय स्वयं लेने के स्वतंत्र नहीं हैं चाहे वो संतान से संबंधित हो या स्वजनों से संबंधित हो। सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि कामकाजी महिलाओं में निर्णय की स्वतंत्रता

पहले से अधिक हैं और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो महिलाये अब सभी मामलों में खुल कर अपने विचार रखती हैं और बहुत से ऐसे मामले होते हैं जैसे – संपत्ति खरीदने और बेचने ,घर के बाहर निकल कर नौकरी करने या स्वरोजगार, पशु पालन, कृषि और बहुत से पारिवारिक निर्णय स्वयं भी लेती और पति से परामर्श भी लेती हैं और परमर्श देती भी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. गाडगिल डी.आर.,(1965), "भारत में कामकाजी महिलाएं", एशिया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली,
2. हेट चंद्रकला ए.,(1969), "आधुनिक भारत में महिलाओं की बदलती स्थिति", विकास प्रकाशन, दिल्ली
3. जैन देविका (1975), "भारतीय महिलाएं", प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, दिल्ली, .
4. डेविस, के. (1976). "औद्योगिक समाज में परिवार और सामाजिक परिवर्तन" न्यूयॉर्क, रैंडम हाउस।
5. पार्सन्स, टी. (1972). 'सामाजिक व्यवस्था न्यूयॉर्क', फ्री प्रेस
6. मजूमदार, एम. (2004)."भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति",नई दिल्ली, डोमिनैट पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स
7. सरकार, एल., और शिवरामय्या, बी. (1994). "महिलाएँ और कानूनरु समकालीन समस्याएँ" नई दिल्ली, विकास पब्लिकेशन .
8. तामले (2005),"नव उदारवादी बनाना शासन का काम",इंटरनेशनल प्लानिंग स्टडीज .

रिपोर्ट –

9. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS&5) 2019–21
10. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का त्रैमासिक बुलेटिन (जनवरी मार्च 2024)
11. डिस्ट्रिक्ट हैन्डबुक कानपुर 2011
12. भारत की जनगणना 2011
13. सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011

रिसर्च आर्टिकल–

- 14- "Role of Women Entrepreneurs in Economic Empowerment of Rural Areas" International Journal of Emerging Research in Management & Technology ISSN: 2278-9359 (Volume-6, Issue-12) December 2017.
- 15- " Women Entrepreneurship in India: Evidence from Economic Censuses", Ellina. Samantroy , J. S.Tomar2, Social Change 48(2) 1–20, CSD 2018,SAGE Publications
- 16- "A Study of Causes and Effects of Domestic Violence in India" Priyanka Sharma1, Dr. Amit Kumar